गैर-सरकारी संगठनों को मदद

अनुदान से आया बदलाव

भारत और अमेरिका के लिए लोकतंत्र और विकास ही नहीं बल्कि कई साझा लक्ष्य हैं। उनके लिए जो बात समान रूप से महत्वपूर्ण है, वह है दोनों देशों की सभ्य समाज के प्रति प्रतिबद्धता और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को मदद, जो अपने कार्यक्रमों तथा पहल के जरिए इन लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास के पब्लिक अफेयर्स सेक्शन ने भारत में सामुदायिक समस्याएं हल करने के लिए जब विभिन्न संगठनों को आर्थिक मदद दी, तब उसके सामने यह लक्ष्य स्पष्ट था।

यह कार्यक्रम सैद्धांतिक तौर पर अनुदानदाता और अनुदान पाने वालों (भारतीय एनजीओ) के बीच एक रिश्ता बन चुका है। मगर इस नाजुक रिश्ते को जोड़ने वाला धागा बजट और लक्ष्य सरीखे शब्दों से कहीं आगे का है। उसने दो अलग-अलग नजरियों को एकीकृत प्रयास के तौर पर जोड़ा है। लघु अनुदान कार्यक्रम के तहत महिलाओं का सशक्तीकरण, गरीबी उन्मूलन, बाल श्रम, निरक्षरता उन्मूलन और सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने सरीखे मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाता है। पब्लिक अफेयर्स सेक्शन की मदद से कई एनजीओ इन मुद्दों को हल करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये परियोजनाएं न सिर्फ लक्षित समूह के लोगों की जीवनशैली पर प्रभाव डालती हैं, बल्कि विकास, लोकतंत्र और सशक्तीकरण के बारे में लाभार्थियों की समझ भी विकसित करती हैं। इसकी झलक उन हजारों लोगों के चेहरों पर देखी जा सकती है, जो इन कार्यक्रमों से प्रभावित हुए हैं।

नदिया जिला इसका एक नमूना है। पश्चिम बंगाल के खासे गरीब और सर्वाधिक आबादी वाले जिलों में शुमार नदिया में अक्सर बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। यहां के ग्रामीण मछलीपालन, खेती और बुनाई से अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने और उनके स्वावलंबी समूह बनाने में मदद

साभार: मित्रनिकेतन

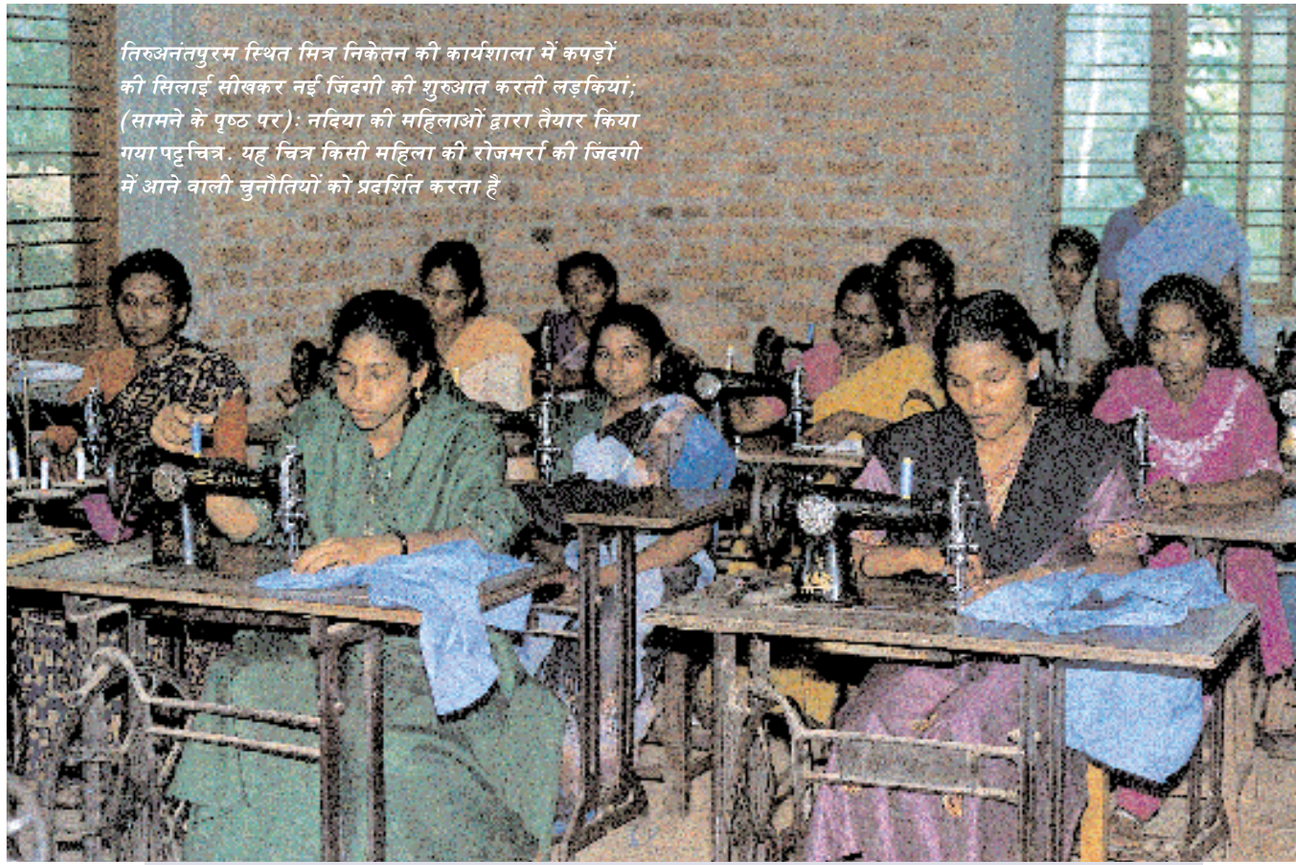

तिरुअनंतपुरम स्थित मित्र निकेतन की कार्यशाला में कपड़ों की सिलाई सीखकर नई जिंदगी की शुरुआत करती लड़कियां; (सामने के पृष्ठ पर): नदिया की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया पट्टचित्र. यह चित्र किसी महिला की रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों को प्रदर्शित करता है

मित्रनिकेतन

बदल गई जिंदगी

यह विकास का मानवीय पहलू है. केरल के ग्रामीण इलाकों में नया कौशल सीखने और अपने पैरों पर खड़े होने से बदली महिलाओं की जिंदगी

1956 में केरल के तिरुअनंतपुरम में के. विश्वनाथन ने जब मित्रनिकेतन नामक एनजीओ शुरू किया, तब जनोन्मुखी ग्रामीण विकास की दिशा में एक नई शुरुआत हुई। इस एनजीओ ने अपनी परियोजनाओं में कृषि, शिक्षा, महिलाओं के विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर खास जोर देने का लक्ष्य तय किया था।

जुलाई 2002 में अमेरिकी दूतावास के पब्लिक अफेयर्स सेक्शन से अनुदान मिलने के बाद मित्रनिकेतन ने राज्य के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का अपना कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत 1,000 महिलाओं को पशु और मुर्गी पालन, मोमबत्ती बनाने और सिलाई आदि का प्रशिक्षण दिया गया।

मोमबत्ती बनाने और सिलाई की कक्षा के दौरान इन महिलाओं को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया भी गया ताकि वे व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम के तहत परीक्षा देने के योग्य हो सकें। महिलाओं को वजीफा भी दिया गया, मगर इन महिलाओं ने प्रतिमाह वजीफा लेने की बजाए उसे बचाकर प्रशिक्षण के अंत में सिलाई मशीन या दो बकरियां या दस चूजे खरीदे। इससे प्रशिक्षण के दौरान हासिल कौशल से अपनी आजीविका चलाने का उनका सपना पूरा हुआ।

दरअसल, मित्रनिकेतन के निदेशक विश्वनाथन ने अपनी परियोजना रिपोर्ट में लिखा, ''यह परियोजना इन महिलाओं के जीवन-स्तर को सुधारेगी तथा इनकी दक्षता को कायम रखेगी।'' यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

गिल्ड ऑफ सर्विसेज़

शक्तिसंपन्न महिलाएं

एक कार्यशाला में भाग लेने के बाद इन महिला नेत्रियों ने अपना घूंघट उतार फेंका और आपदा प्रबंधन, विकास तथा लोकतंत्र की बातें करने लगीं

युद्ध की त्रासदियों को देखकर ही गिल्ड ऑफ सर्विसेज़ का गठन किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में विधवा हुई महिलाओं की कठिनाइयां दूर करने के लिए इसका गठन किया था। जल्दी ही इस एनजीओ को एहसास हुआ कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर दूसरों पर निर्भर इन महिलाओं की बुनियादी समस्या असुरक्षा है। इसके बाद गिल्ड ने इन्हीं परिस्थितियों में जी रही महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास पर जोर देना तय किया। उसके बाद ही असली लड़ाई की शुरुआत हुई।

बीते 31 वर्षों में गिल्ड ने अमेरिकी अनुदान की मदद से चार परियोजनाएं अपने हाथ में ली हैं। जहां इनमें से दो का जोर घरेलू हिंसा के खिलाफ

अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करतीं महिला सरपंच

साभार: गिल्ड ऑफ सर्विसेज़

जागरुकता पैदा करने पर है, वहीं बाकी गांवों में लोकतंत्र मजबूत करने का काम कर रही हैं। अगस्त 2003 में इस एनजीओ को दिल्ली में महिला सरपंचों की कार्यशाला आयोजित करने के लिए अनुदान मिला। इसमें 386 सरपंचों ने दिल्ली आकर संवैधानिक कानून, सामाजिक नागरिकता और आपदा प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया।

गिल्ड ऑफ सर्विसेज़ की संयुक्त सचिव मीरा खन्ना कहती हैं, ''हमने इससे पहले सौ महिलाओं को लेकर ऐसा ही एक छोटा कार्यक्रम मथुरा में आयोजित किया था। पर इस कार्यशाला में अधिक धनराशि की आवश्यकता थी और अमेरिकन सेंटर का सहयोग मिला।'' महिलाओं ने बाल विवाह, सती प्रथा तथा यौन उत्पीड़न जैसी सामाजिक समस्याओं पर बहस छेड़ी। महिला सरपंचों के एक संघ की स्थापना भी हुई। खन्ना कहती हैं, ''हम अपने अनुदान के स्रोत के बारे में काफी सतर्क रहते हैं और अनुदानदाताओं ने हमारे कार्य में कभी वैचारिक हस्तक्षेप नहीं किया है। हमारे लक्ष्य समान हैं—महिलाओं का सशक्तीकरण।''

करने के लिए कोलकाता स्थित एक एनजीओ श्री मां महिला समिति ने पब्लिक अफेयर्स सेक्शन से अनुदान पाने के लिए आवेदन किया। अनुदान मंजूर होने के बाद 100 से ज्यादा महिलाओं को लघु ऋण हासिल करने और आर्थिक-सामाजिक संभावनाओं का लाभ उठाने की जानकारी दी गई। इसके पीछे लक्ष्य उन परियोजनाओं को मदद करना है, जो अपने बूते चलने में सक्षम हों और साथ-साथ सभ्य समाज को सुदृढ़ बनाएं। सफल कार्यक्रम कुछ ही लोगों का भला कर समाप्त नहीं होते, बल्कि ये सफल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका सकारात्मक प्रभाव अनुदान की धनराशि खत्म होने के बाद भी एक लंबे अर्से तक देखने को मिलता है। नदिया की महिलाओं ने सामूहिक तौर पर काम करना, ज्यादा आत्मनिर्भर होना और अपना जीवन स्तर बेहतर बनाना—आर्थिक और सामाजिक दोनों मायनों में—सीख लिया है।

अमेरिकी दूतावास के सरकारी रिकॉर्डों में अब 30 फुट लंबा एक पट्टचित्र भी शामिल है। इसे नदिया की उन महिलाओं ने बनाया है, जिन्हें अमेरिकी अनुदान से अपना जीवन संवारने में मदद मिली। इस पट्टचित्र में किसी महिला के जीवन में पेश आने वाली चुनौतियों को अंकित किया गया है, जिससे ये भी पता चलता है कि अभी कौन-सी समस्याओं पर ध्यान देना बाकी है।

विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाला अनुदान बहुत ज्यादा नहीं होता, मगर उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों का असर खासा महत्वपूर्ण होता है। लघु अनुदान 92,000 रु. (2,000 डॉलर) से 23 लाख रु. (50,000 डॉलर) तक हो सकता है. वित्त वर्ष 2002-03 में 3.6 करोड़ रु. (7,86,000 डॉलर) भारत के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न परियोजनाओं को अनुदान के तौर पर आवंटित किए गए। परियोजनाओं के लिए अनुदान देने के समय

उनके कार्यक्रमों का चयन और अनुदान पाने वाले संगठन की छवि पर गौर किया जाता है। अनुदान का ज्यादातर हिस्सा विकास के समीकरण का मानवीय चेहरा उजागर करता है। इनका लक्ष्य प्रभावशाली नैतिक बदलाव लाना नहीं, बल्कि छोटे जन समूहों को तेज़ी से उन्नत करना है।

नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (आईएसएस) के निदेशक जॉर्ज मैथ्यूज़ कहते हैं, ''ये अनुदान हमारे प्रयासों में मददगार साबित होते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके साथ कोई शर्त नहीं जोड़ी जाती।'' आईएसएस ने एक अनुदान से जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्यों के लिए लोकतंत्र पर एक कार्यशाला आयोजित की। जैसा कि मैथ्यूज़ ध्यान दिलाते हैं, लोकतंत्र भारत और अमेरिका दोनों देशों में एक वास्तविकता है, मगर यह ऐसा तंत्र भी है जिसका पालन-पोषण करना और जिसे उन्नत करना जरूरी है।

यह पोस्टर बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक एनजीओ और अमेरिकी दूतावास के प्रयासों की कड़ी का हिस्सा है

महिलाओं को उनके कानूनी और राजनैतिक अधिकारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद देने के लिए भी अनुदान जारी किए गए हैं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके जरिए सभी देश अपने समाज को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान में सन् 1993 में हुए 73वें संशोधन के जरिए महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में पहुंचा दिया गया। इसके जरिए स्थानीय निकायों में महिलाओं और पिछड़ी जातियों के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। इससे गांवों और कस्बों में दस लाख महिलाओं को मर्दों के प्रभुत्व वाले प्रशासनिक निकायों में जगह मिल गई। दुर्भाग्य से भारत के कुछ हिस्सों में महिलाओं को मिली इस शक्ति का प्रयोग उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य करने लगे थे। सो, दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन 'द गिल्ड ऑफ सर्विसेज़' ने इस परिदृश्य को बदलने का प्रयास किया है। इस संगठन ने एक कार्यशाला आयोजित की ताकि स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को बेहतर जान सकें।

इस तीनदिवसीय कार्यक्रम की सफलता जल्दी ही सामने आई। उस कार्यशाला की शुरुआत में भले ही कुछ महिलाएं हिचक रही थीं, मगर वहां से आठ प्रदेशों से आई सभी 386 महिलाएं गर्व से अपना सिर उठाकर वापस लौटीं। इन महिलाओं ने उस कार्यशाला में शासन से जुड़ी समस्याओं के अलावा पति के शराबी होने, बलात्कार और दहेज से जुड़ी समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करने की जरूरत शुरू से ही समझ में आई, जब एक व्यक्ति ने कार्यशाला के लिए

महत्वपूर्ण मदद

अमेरिकी अनुदान से चलने वाली परियोजनाओं में कई मुद्दे उठाए जाते हैं

- **एड्स प्रिवेंशन सोसाइटी:** कोष का इस्तेमाल गुवाहाटी में एचआइवी/एड्स पर काबू पाने के लिए किया गया।
- **अदिति:** कोलकाता स्थित इस एनजीओ ने 15 युवतियों को स्वास्थ्य से जुड़े कई मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया।
- **प्रेरणा:** इसके मुंबई केंद्र ने यौन शोषण और खरीद-फरोख्त के खिलाफ टीवी कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से जागरुकता पैदा की।
- **सिनी आशा:** कोलकाता स्थित इस एनजीओ ने नाटकों और पोस्टर बनाने की स्पर्धाओं से छात्रों और सड़क पर रहने वाले बच्चों के बीच एड्स संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए परियोजना शुरू की।
- **इंडियन एन्वायर्नमेंट सोसाइटी:** फिरोजाबाद में कांच की फैक्टरियों में काम करने वाले 50,000 से ज्यादा बच्चों के पुनर्वास के लिए परियोजना संचालित की।
- **कंज़्यूमर एजुकेशन ऐंड रिसर्च सेंटर:** अहमदाबाद के इस केंद्र को आम लोगों को दवाओं के गलत असर की जानकारी देने वाली वेबसाइट चलाने के लिए धन मिला।
- **कथा:** इस एनजीओ ने दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में 200 लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया।

साभार: इंडिया विजन फाउंडेशन

इंडिया विज़न फाउंडेशन

दिखाई नई राह

एक विधवा को न्याय पाने के लिए तंत्र के साथ लड़ाई की कहानी पर आधारित फिल्म *सेविंग द नेक्स्ट विक्टिम* खासी पसंद की जा रही है।

एक जानी-मानी शख्सियत दिल्ली स्थित इस एनजीओ की मुखिया हैं—ये हैं देश की पहली महिला आइपीएस अधिकारी किरण बेदी। सन् 1995 में बेदी को जेल सुधारों के लिए रैमॅन मैगसायसाय पुरस्कार मिलने के बाद गठित इंडिया विज़न फाउंडेशन महिलाओं के सशक्तीकरण और नशीली दवाओं की लत तथा शराबखोरी पर काबू पाने का काम कर रहा है। यह एनजीओ जेल में बंद कैदियों के बच्चों के लिए एक घर भी चलाता है।

बेदी ने घरेलू हिंसा और कानून तथा समाज से अकेली लड़ने वाली महिलाओं की त्रासदी पर एक फिल्म बनाने के लिए अमेरिकी दूतावास के पब्लिक अफेयर्स सेक्शन की मदद ली। बेदी कहती हैं,

किरण बेदी (बाएं) की यह फिल्म लोगों तक संदेश पहुंचाती है

''इस अनुदान से हमें अपनी परियोजना पूरी करने में मदद मिली।'' यह एनजीओ महिला सशक्तीकरण के लिए *सेविंग द नेक्स्ट विक्टिम* फिल्म का इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। यह एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी है जिसे उसके पति की हत्या के मामले में फंसाया गया है। परियोजना निदेशक ऋचा गुप्ता कहती हैं, ''हमारी कार्यशालाओं में इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।'' यह एनजीओ इस फिल्म को गांवों में दिखाकर लोगों को जागरुक बनाने का प्रयास कर रहा है।

इनका कहना है

"यहां कई गरीब लोग हैं लेकिन आप लोग यह साबित कर रहे हैं कि लोकतंत्र से गरीबों का उत्थान संभव है।"

—पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, राजस्थान में महिलाओं को संबोधित करते हुए

अपना पंजीकरण करवाने पर जोर दिया और कहा कि सरपंच-पति (यानी महिला सरपंच का पति) होने की वजह से उसका भी अधिकार है।

भारत में आदिवासी महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों पर ध्यान देने वाले एक एनजीओ 'उद्योगिनी' को भी अमेरिकी दूतावास के पब्लिक अफेयर्स सेक्शन से एक अनुदान मिला। इस एनजीओ ने मध्य प्रदेश के एक छोटे-से गांव में वनोपज इकट्ठा करने वाली 90 आदिवासी महिलाओं के स्वहित समूह गठित किए। यह समूह अपने बीच की जरूरतमंद महिला को कर्ज देता है, किसी बिचौलिए की बजाए वनोपज खुद ही बेचता है और बिचौलियों को अपने धंधे में कतई नहीं पड़ने देता। उद्योगिनी परियोजना का फौरी फायदा मध्य प्रदेश की महिलाओं के एक समूह को हुआ, जिन्होंने लघु ऋण के फायदों के बारे में जाना और अब वे अपने बैंक खातों का परिचालन खुद कर रही हैं।

इस तरह की पहल पर वाशिंगटन में भी सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने सन् 2001 में अमेरिकी संसद कांग्रेस में सरकार की ''विक्टिम्स ऑफ ट्रॉफिकिंग ऐंड वॉयलेंस प्रोटेक्शन एक्ट'' नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में पॉवेल ने जिन बिंदुओं पर जोर दिया था उनमें से एक है भारत में बच्चों की अवैध बिक्री का कारोबार रोकने के लिए धन की कमी। इसके तुरंत बाद ही बंगलोर स्थित एक गैर-सरकारी संगठन 'इक्वेशन्स' को पर्यटन उद्योग में बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त का अध्ययन करने के लिए अनुदान दिया गया।

इस तरह अनुदान स्वीकृत करने के पीछे विचार सिर्फ किसी खास समस्या को हल करने का ही नहीं होता बल्कि एक ऐसी धरोहर तैयार करना भी होता है जो अनुदान की राशि खत्म हो जाने के बाद भी चलती रहे। सशक्तीकरण की आधारशिला आखिर स्वावलंबन है, दान

नहीं। सन् 2002-03 में लखनऊ स्थित गैर-सरकारी संगठन 'सुरक्षा' को समाज की वंचित महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 8,000 डॉलर (3,68,000 रु.) का अनुदान दिया गया था। उस जिले की आठ शहरी झुग्गी बस्तियों में आयोजित कार्यशालाओं में महिलाओं को उनके मानवीय और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी गई। और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उस परियोजना के खत्म होने के बाद भी 'सुरक्षा' अन्य झुग्गी बस्तियों में इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित कर रही है।

ज्यादातर अनुदान मुद्दों के आधार पर दिया जाता है। पश्चिमी भारत में, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में, धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी तरह पर्यावरण भी महत्वपूर्ण मुद्दों में शुमार है और परती भूमि के प्रबंधन तथा जल संरक्षण कार्यक्रम के लिए अनुदान जारी किए गए हैं। हिमालय के इलाके में पाए जाने वाले सैलामेंडर की लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने से संबंधित एक परियोजना भी चल रही है। इसी तरह स्थानीय पर्यावरण से जुड़े सवालों को उठाने तथा नेतृत्व विकसित करने के लिए भी परियोजना चल रही है। जहां विविध परियोजनाएं संचालित हैं, वहीं सभी अनुदान स्वीकृत किए जाने के पीछे एक साझा दर्शन काम करता है। यह है—एक सभ्य समाज का निर्माण करना और भारत के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों को बेहतर बनाना। जैसा कि अनुदान पाने वाले ज्यादातर गैर-सरकारी संगठन स्वीकार करते हैं, अमेरिकी दूतावास से ''वैचारिक हस्तक्षेप'' नहीं होने से मदद मिलती है। भारत की जानी-मानी पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी कहती हैं, ''हमें मुद्दों की समझ है और उन्हें (अमेरिकी दूतावास को) इनकी जानकारी भी है और वे धन भी मुहैया करा सकते हैं।''

जननीति

संकटमोचन

साक्षरता की ऊंची दर वाले राज्य केरल में दहेज की कुरीति गहरी जड़ें जमाए है. वहां एक परियोजना इस कुप्रथा के कई पहलुओं को उजागर करके छेड़ती है एक जागरुकता अभियान

केरल स्थित एनजीओ 'जननीति' को, जो मानवाधिकारों, लैंगिक समानता और बच्चों के अधिकारों की दिशा में कार्यरत है, राज्य में दहेज की कुप्रथा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए धन की जरूरत थी। परियोजना निदेशक जैसमीन जोसेफ के मुताबिक केरल में करीब 70 फीसदी शादियां परिवारों या मित्रों द्वारा ''तय'' की जाती हैं। और यहीं दहेज का दानव अपना सिर उठा लेता है। कई दलालों ने शादियां तय कराने को पेशा बना लिया है—वे दुलहन के परिवार से दहेज का एक फीसदी और दूल्हे के परिवार से दो फीसदी हिस्सा वसूल लेते हैं।

साभार: जननीति

जननीति के एक सत्र का दृश्य

जोसेफ का कहना है, ''हमें मालूम हुआ कि अमेरिकन सेंटर ऐसी परियोजनाओं के लिए अनुदान देता है। हमने भी आवेदन किया और उस पर तुरंत फैसला हुआ।'' यह अध्ययन एक साल तक चला। अब यह अध्ययन जननीति की अगुआई वाले दहेज विरोधी अभियान की रीढ़ है। जोसेफ का कहना है, ''हमने कार्यशालाएं आयोजित करके इस अध्ययन के नतीजों की जानकारी जनमत निर्माताओं को दी है।'' इस अध्ययन से मिले निष्कर्षों के आधार पर महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। चूंकि जननीति के सर्वेक्षण से संगठन को दहेज को बढ़ावा देने वाली मानसिकता को पहचानने में मदद मिली है, इस वजह से इसके सुझाव वास्तविकता के निकट होते हैं।